यह निरीक्षण प्रतिवेदन, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखंड, प्रखण्ड –गोपेश्वर, चमोली, द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखंड, प्रखण्ड –गोपेश्वर, चमोली, के माह 10/2016 से 10/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रामवीर सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री गौरव पन्त, लेखापरीक्षक, द्वारा दिनांक 13/11/2017 से 23/11/2017 तक श्री ए.सी. कटियार वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री भानु प्रताप सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अजय कुमार सचान ,साहयक लेखापरीक्षा अधिकारी , गौरव पंत ,वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 17-10-2016 से 27-10-2016 तक श्री आई के जुयाल वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2014 से 09/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 10/2016 से 10/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः ग्रामीण निर्माण विभाग का कार्य यह की विभिन्न विभागो के निर्माण कार्य डिपॉजिट कार्य के रूप मे सम्पन्न कराना तथा अधिकार क्षेत्र, पूर्ण, जिला -चमोली ।

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख मे)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		शासन को समर्पित राशि / अवशेष	
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `	स्थापना (समर्पित)	गैर स्थापना (अवशेष)
2014-15	-	2377.49	166.93	141.39	1758.06	1438.10	25.54	2697.45
2015-16	-	2697.45	165.13	143.50	2393.59	2090.49	21.63	3000.55
2016-17	-	3000.55	146.23	146.23	1351.55	2447.80	0.00	1904.30
2017-18 (माह अक्टूबर तक)		1904.30	151.18	99.46	1215.80	570.14	51.72	2549.96

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(ii) इकाई को बजट आवंटन (स्रोत बताया जाय) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई का आवंटन स्रोत , राज्य सरकार है ।

(iii) श्रेणी की है। इकाई की श्रेणी "A" है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

(1)सचिव ,ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखंड शासन ।

तकनीकी संवर्ग मे:

(2) मुख्य अभियंता स्तर –1(विभागाध्यक्ष) (3) मुख्य अभियंता, स्तर- 2,
(4) अधीक्षण अभियंता, (5) अधिशासी अभियंता (6) साहयक अभियंता
(7) कनिष्क अभियंता

गैर तकनीकी संवर्ग मे :

(1) वित्त नियंत्रक , (2) खंडीय लेखाकार (3) साहयक लेखाधिकारी (4) प्रशासनिक अधिकारी (5) लेखाकार (6)प्रधान साहयक ,(7) वरिष्ठ साहयक ,(8) कनिष्क साहयक ।

(v) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखंड, प्रखण्ड –रुद्रप्रयाग को को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखंड, प्रखण्ड- गोपेश्वर, चमोली, की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह .... 03/2017..... को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vi) अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखंड, प्रखण्ड –रुद्रप्रयाग का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन ..... "व्यय के आधार पर"..... के आधार पर किया गया।

(vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा .....13....., लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में दिनांक .. से ..17-05-2017 से 19-05-2017 तक..... का निरीक्षण किया गया।
4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह .....3/2017. ..... तथा 09/2016 ..... तक की गई।
5. फार्म 51: माह ... 10/2017 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः- (धनराशि रु मे)।

भाग प्रथम ..6810.00

भाग द्वितीय ..23939.15

6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह .. 10/2017 के अन्त में(धनराशि रु मे)
   - (क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम... 9,08,935.36
   - (ख) सामग्री क्रय....शून्य
   - (ग) नगद परिशोधन....शून्य
   - (घ) निक्षेप.... 11,41,56,875.00 (रु मे)
   - (ङ) भण्डार....252343.00

भाग दो 'ब'

प्रस्तर-1 प्रतिधारक दीवारों (Retaining Walls) के निर्माण पर ` 24.25 लाख की धनराशि का अपरिहार्य (Avoidable) व्यय।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चमोली के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि फरवरी 2014 में प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखंड, देहारादून द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या 216/10 अधिप्राप्ति/13/ दिनांक-12.02.14 के द्वारा प्रतिधारक दीवारों (Retaining Walls) की विशिष्टियां जारी करते हुए इन विशिष्टियों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किए जाने हेतु समस्त अभियन्ताओं को निर्देशित किया गया था। उक्त कार्यालय ज्ञाप की प्रति मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, देहारादून को भी अनुपालनार्थ प्रष्ठांकित की गयी थी। उक्त कार्यालय ज्ञाप में जारी विशिष्टियों के अनुसार 04 मीटर ऊंचाई तक की प्रतिधारक दीवारों (Retaining Walls) को आरआर ड्राइ स्टोन मेसनरी (RR dry stone masonry as per drawing number 01/RW/2014) के द्वारा निर्माण कराया जाना था।

उक्त के अनुपालन में मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, उत्तराखंड, देहारादून द्वारा पत्रांक-2501/ ग्रा.अभि.से./2013-14/दिनांक-22.02.2014 के द्वारा प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखंड, देहारादून द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप के आधार पर जारी की गयी विशिष्टियों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किए जाने हेतु ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग उत्तराखंड के समस्त अधीक्षण अभियन्ताओं को निर्देशित किया गया था एवं उक्त पत्र की प्रतिलिप समस्त अधिशासी अभियन्ताओं, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग उत्तराखंड को इस निर्देश के साथ प्रेषित की गयी थी उक्त विशिष्टियां एवं ड्रॉइंग्स अपने-अपने अधीक्षण अभियन्ताओं से प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

जबकि अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चमोली कार्यालय के अंतर्गत ग्रामीण मोटर मार्ग एवं ड्रैनेज के अंतर्गत वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 की अवधि में स्वीकृत निर्माण कार्यों के निष्पादन से संबन्धित अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि (Annexure 'A') के अनुसार प्रखण्ड स्तर पर ग्रामीण मोटर मार्गों के निर्माण में 04 मीटर ऊंचाई तक की प्रतिधारक दीवारों का 2104.53 घन मीटर मात्रा में उक्त कार्यालय ज्ञाप में जारी विशिष्टियों के विपरीत आरआर ड्राइ स्टोन मेसनरी (RR dry stone masonry as per drawing number 01/RW/2014) के स्थान पर आरआर ड्राइ स्टोन मेसनरी 1:6/1:5 सीमेंट मोर्टार मेसनरी में निष्पादित कराये जाते हुए ` 63.82 लाख की धनराशि व्यय की गयी। जबकि 04 मीटर तक की ऊंचाई की प्रतिधारक दीवारों का निष्पादन यदि उक्त कार्यालय ज्ञाप में आर सी एसपी:48-पहाड़ी मार्ग मैन्युअल के आधार पर जारी विशिष्टियों के अनुरूप आरआर ड्राइ स्टोन मेसनरी (RR dry stone masonry as per drawing number 01/RW/2014) में निष्पादित कराया जाता तो उक्त निर्माण कार्यों के निष्पादन पर ` 39.57 लाख की धनराशि ही व्यय करनी पड़ती। इस प्रकार प्रखण्ड स्तर पर 04 मीटर ऊंचाई तक की प्रतिधारक दीवारों को उक्त कार्यालय ज्ञाप में जारी विशिष्टियों के विपरीत आरआर ड्राइ स्टोन मेसनरी 1:6/1:5 सीमेंट मेसनरी में निष्पादित कराये जाने के परिणामस्वरूप ` 24.25 लाख की धनराशि का अपरिहार्य व्यय (Avoidable Expenditure) किया गया।

उक्त के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चमोली द्वारा अपने उत्तर में अवगत कराया गया कि रिटेनिंग वाल का निर्माण आईआरसी-एसपी -48 रोड मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा है। उक्त प्रावधानों के अनुसार समान्यतः 4 मीटर तक की दीवारों का निर्माण आरआर ड्राइ में किया जाता है किन्तु जहां High degree of strength,अत्यधिक पानी का टकराव, हिल साइड स्लोप एवं मृदा की क्षमता को ध्यान में रखते हुए एक मीटर तक की दीवार को आरआर 1:6 में बनाया जा सकता है। उक्त किए गए कार्य निर्माण स्थल की

परिस्थितियों के अनुसार किया जाना आवश्यक थे। अतः उक्त कार्य पर किया गया अतिरिक्त व्यय अपरिहार्य नहीं है एवं कार्य एसपी-48 के अनुसार कराये गए अतः पुनः स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं थी।

इकाई का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग उत्तराखंड तथा मुख्य अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखंड के आदेशों में स्पष्ट रूप से आदेशित करते हुए 04 मीटर तक की प्रतिधारक दीवारों का निर्माण आरआर ड्राइ ड्राइ में किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था। तथापि यदि अपरिहार्य परिस्थितियों स्थलीय आवश्यकता थी भी तो प्रखण्ड स्तर पर मुख्य अभियंता स्तर से उक्त के संबंध में पूर्वानुमति लिया जाना अपेक्षित था। यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है की प्रखण्ड स्तर से अपने उत्तर के समर्थन में कार्य स्थल के High degree of strength, अत्यधिक पानी का टकराव, एवं मृदा की क्षमता से संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए।

इस प्रकार प्रखण्ड स्तर पर विभागाध्यक्ष स्तर से जारी निर्देशों के अनुरूप न तो निर्माण कार्य ही निष्पादित कराये गए एवं न ही उक्त प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी से पूर्वानुमति ही प्राप्त की गयी। जिसके परिणामस्वरूप रु. 24.25 लाख की धनराशि का अपरिहार्य व्यय (Avoidable Expenditure) हुआ।

अतः प्रखण्ड स्तर पर ग्रामीण मोटर मार्गों के निर्माण में रु. 24.25 लाख की धनराशि के अपरिहार्य (Avoidable) व्यय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

Annexure-'A'

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sl. No.	**Name of the Road**	**Bond No, Date and Amount (in lakh)**	**Bonded Quantity of RR Stone Masonry 1:6 or 1:5 in cement mortar (in Cum)**	**Executed Quantity of RR Stone masonry 1:6 or 1:5 in cement mortar (in Cum)**	**Aggremented rate of RR Stone masonry 1:6 or 1:5 in cement mortar / Per Cum**	**Expenditure incurred on execution of RR Stone masonry 1:6 or 1:5 in cement mortar**	**Aggremented rate of RR dry stone masonry Per Cum**	**Amount if quantities executed in RR Stone Masonry 1:6 or 1:5 in cement mortar had been executed in RR dry stone masonry**	**Difference of rates between RR Stone masonry 1:6 or 1:5 in cement mortar and RR dry stone masonry (Column 7-Column 9)**
1	**Bagwaan tonk to Narangi village motor road**	57/EE/02.03.16 ` 27.08	492.00	147.35	3147.88	4,63,840.12	1988.11	2,92,948.01	1,70,892.11
		54/EE/27.02.16 ` 27.99	253.00	119.47	3162.12	3,77,778.48	1997.10	2,38,593.54	1,39,184.94
		26/EE/19.11.16 ` 19.62	57.00	72.72	2474.96	1,79,979.09	1563.11	1,13,669.36	66,309.73
2	**Kotmangra bridge to Dungri Barosi motor road**	60/EE/08.03.16 ` 34.80	625.18	217.65	3557.04	7,74,189.76	2276.92	4,95,571.64	2,78,618.12
		65/EE/10.03.16 ` 32.78	129.25	129.98	3542.80	4,60,493.14	2267.80	2,94,768.64	1,65,724.50
3	**From Bajwaad Aalkot motor road Gairwaram to Kot Milla village motor road**	13/EE/04.06.16 ` 11.01	30.47	78.37	2465.76	1,93,241.61	1552.49	1,21,668.64	71,572.97
		14/EE/04.06.16 ` 31.30	150.83	97.70	2465.76	2,40,904.75	1552.49	1,51,678.27	89,226.48
		16/EE/17.06.16 ` 30.88	199.35	52.49	2426.18	1,27,350.19	1527.58	80,182.67	47,167.52
4	**Aadibadri Nauti road to Aali majyadi motor road**	61/EE/08.03.16 ` 23.91	239.93	138.07	3067.09	4,23,473.12	1948.41	2,69,016.97	1,54,456.15
		56/EE/27.02.16 ` 34.31	290.82	83.07	3067.09	2,54,783.17	1948.41	.1,61,854.42	92,928.75
		62/EE/09.03.16 ` 34.32	348.76	115.20	3067.09	3,53,328.77	1948.41	2,24,456.83	1,28,871.94
5	**Karnprayag Pokhari road to Semi village motor road**	28/EE/05.12.16 ` 29.01	56.70	48.01	2338.20	1,12,256.98	1475.93	70,859.40	41,397.58
		37/EE/03.01.17 ` 21.92	51.30	58.79	3117.60	1,83,283.70	1967.90	1,15,692.84	67,590.86
6	**Gairsain Dhargarh village motor road**	63/EE/09.03.16 ` 36.22	0.00	39.95	3067.09	1,22,530.25	1948.41	77,838.98	44,691.27
7	**Makhauli to Bisht Gaon**	67/EE/10.03.16 ` 25.05	0.00	72.72	3022.36	2,19,786.02	1527.92	1,11,110.34	1,08,675.68

	gramin motor road								
		58/EE/03.03.16 ` 28.39	260.13	266.45	2766.30	7,37,080.64	1527.92	4,07,114.28	3,29,966.36
8	**Tharali Kunipartha motor road Km. 09 to Kurad village**	07/EE/19.05.16 ` 30.29	74.86	100.44	3190.10	3,20,413.64	2006.90	2,01,573.04	1,18,840.60
		06/EE/22.04.16 ` 30.29	71.55	83.29	3180.53	2,64,906.34	2000.88	1,66,653.30	98,253.04
9	**Dewal Mundauli motor road Vaan to Bharan village motor road**	12/EE/23.05.16 ` 29.81	80.68	23.48	3228.97	75,816.22	2036.27	47,811.62	28,004.60
		11/EE/23.05.16 ` 30.72	86.08	31.24	3245.20	1,01,380.05	2046.50	63,932.66	37,447.39
10	**Gauchar Sindauli road to Gainthi village**	03/EE/22.04.16 ` 37.51	255.73	77.16	3082.30	2,37,830.27	1948.50	1,50,346.26	87,484.01
		04/EE/22.04.16 ` 39.23	474.95	50.93	3082.30	1,56,981.54	1948.50	99,237.10	57,744.44
	Total		**5,161.97**	**2,104.53**		**63,81,627.85**		**39,56,596.81**	**24,25,031.04**

भाग 2 ब

प्रस्तर संख्या-2- रु 266.25 लाख धनराशि उपलब्ध राशि से अधिक व्यय किया जाना ।

खंड की लेखापरीक्षा में पाया गया कि निम्नलिखित धनराशिया कार्यो के सापेक्ष ऋणात्मक दर्शायी गयी है अर्थात उपलब्ध धनराशि से अधिक व्यय किया गया है। जबकि वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 6 के नियम 580 के अनुसार जब तक धनराशि उपलब्ध न हो तो व्यय नहीं किया जाना चाहिए यदि अधिक व्यय हो जाये तो विभाग के विरुद्ध विविध अग्रिम डाल कर वसूली की कार्यवाही की जानी चाहिए। परंतु निम्न धनराशियों की वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

क्रम संख्या	कार्य का नाम	आइटम संख्या	माह वर्ष	अधिक व्यय रु लाख मे
1	रा. जू. हा. स्कूल पुन गाँव के मुख्य भवन का निर्माण	4	1/2011	196337
2	रा. जू. हा. स्कूल रौंता के मुख्य भवन का निर्माण	6	7/2011	1002775
3	रा. जू. हा. स्कूल झूमाखेत मुख्य भवन का निर्माण	7	7/2011	3787847
4	रा. उ. मा. वि. गड़कोट मे विविध कार्य	16	7/2011	265452
5	रा. इ. का. बाजबगड़ मे विविध कार्य ।	17	7/2011	64988
6	रा उ मा वि कुमजुग मे मुख्य भवन	28	5/2014	115508
7	रा इ का बहूवाबन मे मुख्य भवन का निर्माण ।	3	10/2010	1430889
8	बागवान तोक से नारंगी गाव तक मोटर मार्ग ।	1	3/2015	4257496
9	कोतमंगरा पुल से डुंग्री ब्रोसी तक मोटर मार्ग	2	3/2015	3418404
10	बज बाड़ अलकोट से ग्रामीण मोटर मार्ग कोटिमीला तक	3	3/2015	3659848
11	कर्णप्रयाग मोटर मार्ग से सेमी गाव तक मोटर मार्ग का निर्माण ।	6	3/2015	195802
12	ग्रामीण मोटर मार्ग	9	3/2015	3834245
13	ग्रामीण मोटर मार्ग	12	3/2015	4395923
			कुल धनराशि	2,66,25,514

उपरोक्त रु 266.25 लाख धनराशि कार्यो मे उपलब्ध राशि से अधिक व्यय किया गया था। लेखापरीक्षा मे इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा अपने उत्तर मे बताया कि दूसरे निर्माण कार्यो से प्रत्यावर्तित करके धनराशि व्यय की गयी है , समस्त विभागो से धनराशि प्राप्त होने पर समायोजन किया जाएगा ।

उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योकि वर्ष 2011 से 2015 तक की अवधि मे निर्माण कार्यो मे उपलब्ध राशि से अधिक व्यय रु 266.25 लाख वित्तीय नियमो के विरुद्ध दूसरे निर्माण कार्यो से प्रत्यावर्तित करके व्यय किया गया था ओर दो वर्ष से अधिक समय बीत गया है अर्थात लेखापरीक्षा तिथि तक समायोजन /धनराशि प्राप्त नहीं हुई है ।

अत: रु 266.25 लाख धनराशि उपलब्ध राशि से अधिक व्यय करने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है ।

भाग 2 ब

प्रस्तर संख्या-3- रु 31.52 लाख धनराशि ठेकेदारों की जमानत राशि को ठेकेदारों द्वारा दावा न किए जाने की स्थिति मे अदावाकृत धनराशि को व्यपगत जमा के रूप मे राजस्व में जमा न किया जाना ।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड 6 के नियम 622 के अनुसार तीन पूर्ण वर्षो तक अदावाकृत ठेकेदारों की जमानत राशि को ठेकेदारों द्वारा मांग नहीं किए जाने पर व्यपगत जमा के रूप मे राज्य सरकार को राजस्व के रूप मे जमा की जानी चाहिए थी परंतु लेखापरीक्षा में पाया गया कि निम्न संलग्न विवरण के अनुसार डिपॉजिट पार्ट 2 रु 9,75,241.00 एव डिपॉजिट पार्ट 5 रु 21,77,071.00 कुल रु 31.52 लाख धनराशि वर्ष 2006 से वर्ष 2013 तक की अवधि से अवशेष के रूप मे अदावाकृत राशि के रूप मे विगत तीन वर्षो से अधिक समय से पड़ी है । लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर कार्यालय ने अपने उत्तर मे बताया कि समस्त राशि राजस्व मे जमा करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी ।

उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योकि तीन वर्षो से अधिक समय अर्थात यह धनराशि वर्ष 2006 से 2013 तक की अवधि से संबन्धित है परंतु कार्यालय द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है । अत: रु 31.52 लाख धनराशि ठेकेदारो द्वारा दावा नहीं किए जाने की स्थिति मे राजस्व मे जमा नहीं करने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है ।

<u>भाग 2 ब</u>

प्रस्तर संख्या-4- रु 9.09 लाख विविध अग्रिम की वसूली नहीं किया जाना ।

कार्यालय के लेखा अभिलेखो की नमूना लेखापरीक्षा मे पाया गया कि निम्न विवरण के अनुसार विगत 12 वर्षो से अधिक समय से (वर्ष 1988 से 2006 तक की अवधि से) इन अधिकारियों / कर्मचारियों /फर्मों/ ठेकेदारों के विरुद्ध विविध अग्रिम की धनराशि रु 9.09 लाख वसूली हेतु लंबित है।

क्रम संख्या	लेनदेन का माह /वर्ष	फर्मो के नाम	वसूली हेतु लंबित राशि रु मे ।
1.	6/1989	स्टील आबरेटी आफ इंडिया गाजियाबाद	38520.00
2.	12/1997	स्पात लिमि. विशाखापटनम गाजियाबाद	67.00
3.	7/2002	विमल इंडस्ट्रीज ऋषिकेश	2067.00
4.	7/2004	ए.सी.सी. लिमि. हरिद्वार	581.00
------	------	---**ठेकेदारो के नाम**	----------
5.	2/1989	श्री नारायण सिंह गोपेश्वर	66094.25
6.	12/1989	श्री बीर सिंह पीपलकोटी	92246.50
7.	12/1989	श्री श्री लोकेन्द्र सिंह	71176.00
8.	1/1990	श्री आलम सिंह	121766.00
9.	1/1990	श्री बुद्धिलाल	3667.00
10.	3/1990	श्री राम सिंह	18477.00
-------	--------	**अधिकारियों के नाम**	------
11.	2/1990	श्री वाई पी शुक्ला क. अभियंता	57650.00
12.	1/1988	आर सी शुक्ला	14421.34
13.	3/1989	पी एस शामय	112956.19
14.	10/1989	जी सी रस्तोगी	2600.00
15.	3/1989	राजेंद्र कुमार	12300.00
16.	2/1990	यू एन तिवाड़ी	28792.00
17.	3/1989	के एन झा	238455.00
18.	3/1989	एस पी श्रीवास्तव	8110.00
19.	5/1992	यू एन तिवाड़ी	14776.00
20.	5/1992	के एन झा	4925.00
		कुल वसूली हेतु लंबित धनराशि	9,09,646

रु 9.09 लाख लंबित वसूली के प्रकरण को लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा अपने उत्तर मे बताया गया कि वसूली की कार्यवाही यथाशीघ्र की जाएगी । उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योकि उपरोक्त राशि वर्ष 1988 से वर्ष 2006 के मध्य की है इतनी लम्बी अवधि बीतने पर भी वसूली नहीं हो सकी है अत; रु 9.09 लाख लंबित वसूली का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है ।

STAN

प्रस्तर-1-रु. 33.60 लाख की धनराशि विलंब हेतु क्षतिपूर्ति के रुप में रोकी एवं जब्त नहीं किया जाना।

अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चमोली, कार्यालय के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि प्रखण्ड स्तर पर निर्माणाधीन कार्य जो निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण नहीं किए जा सके थे उनका विवरण निम्नानुसार थाः

क्र.सं.	निर्माण कार्यों का नाम	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि	अनुबंधित धनराशि	व्ययित धनराशि	निर्माण कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	कार्य की भौतिक स्थिति
1.	सामुदायिक विकास सह विपणन केन्द्र एवं आवासीय/अनावासीय भवन टाइप-II (02 नग) व्यारा विकास खंड दसौली	72.67	72.67	69.25	59.35	1.9.17	अपूर्ण
2.	सामु. सह बाजार केन्द्र का निर्माण एवं ग्रा.पं.वि.अ./कृ.सहा.भवन का निर्माण जाख पाट्टयु	85.71	85.71	79.34	38.17	1.1.17	अपूर्ण
3.	सामु. सह बाजार केन्द्र का निर्माण एवं ग्रा.पं.वि.अ./कृ.सहा.भवन का निर्माण बैरांगना	81.43	81.43	75.09	53.43	23.6.16	अपूर्ण
4.	फायर स्टेशन गोपेश्वर का अवशेष कार्य	80.29	80.29	58.93	46.19	23.6.16	अपूर्ण
5.	मृदा परीक्षण प्रयोगशाला भवन चमोली का निर्माण	35.00	35.00	33.24	27.63	16.8.16	अपूर्ण
6.	ग्राम गुलाबकोटी में खादध्यान गोदाम का निर्माण	48.28	48.28	39.16	28.86	5.8.16	अपूर्ण
7.	मत्स्य प्रजनन प्रक्षेत्र तलवाड़ी में पुनर्निर्माण	51.15	51.15	47.43	47.13	25.5.17	पूर्ण 15.06.17
8.	फायर स्टेशन जोशीमठ का अवशेष कार्य	73.14	73.14	47.01	35.25	23.6.16	अपूर्ण
	योगः-	**527.67**	**527.67**	**449.45**	**336.01**		

सम्प्रेक्षा के दौरान यह भी पाया गया कि उक्त निर्माण कार्यों से संबंधित अनुबंधों में संलग्न जी.पी.डब्ल्यू 9 (संशोधित) के उपबंध-4 के बिन्दु संख्या एक से पाँच के अनुसार यदि संबंधित ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य का ⅛ भाग अनुबंधित समय के 1/4 भाग में, निर्माण कार्या का 3/4 भाग अनुबंधित समय के 3/4 भाग में तथा पूर्ण अनुबंधित समय में पूर्ण नहीं किया जाता है तो प्रत्यके स्टेज पर कुल अनुबंधित राशि की क्रमशः2.5%, 3.5% एवं 4% (कुल 10%) धनराशि उसको भुगतान की जाने वाली धनराशि से रोकते (Withheld) हुए जब्त (Forfeit) की जानी थी।

अनुबंधित राशि की क्रमशः2.5%, 3.5% एवं 4% (कुल 10%) धनराशि उसको भुगतान की जाने वाली धनराशि से रोकते (Withheld) हुए जब्त (Forfeit) की जानी थी।

जबकि लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि संबंधित ठेकेदारों द्वारा उक्त निर्माण कार्यों को अनुबंधित अवधि के व्यतीत होने के उपरान्त भी पूर्ण न किए जाने के उपरांत भी प्रखण्ड स्तर पर उक्त ठेकेदारों के बिलों से कोई धनराशि रोकी नहीं गयी। जबकि नियमानुसार संबंधित ठेकेदारों को भुगतान की गयी रु. 336.01 लाख के सापेक्ष रु. 33.60 लाख की धनराशि रोकी एवं जब्त की जानी चाहिए थी। जबकि प्रखण्ड स्तर पर ऐसा नहीं किया गया।

उक्त के संबंध में लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चमोली द्वारा अपने उत्तर में अवगत कराया गया कि जनपद चमोली की भौगोलिक स्थिति अत्यधिक विषम एवं कार्य स्थल अत्यधिक पैदल दूरी पर होने के कारण तथा दैवी आपदा से प्रभावित होने के कारण निर्माण कार्यों को समयांतर्गत निष्पादित कराने में कुछ विलंब हो जाता है तथापि प्रखण्ड स्तर यह प्रयास किए जाएंगे कि निर्माण कार्यों को समयान्तर्गत पूर्ण कराया जाए एवं विलंब होने कि स्थिति में संबन्धित ठेकेदारों पर अनुबंध के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

इकाई का उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि प्रखण्ड स्तर पर अनुबंध गठित करते हुए जनपद की विषम भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कार्य पूर्ण करने की तिथि निर्धारित की जानी चाहिए थी परंतु प्रखण्ड स्तर पर ऐसा न करके अनुबंध की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया।

अतः विभागीय स्तर पर अप्रत्यक्ष रूप से ठेकेदार को लाभ पहुँचने के उद्देश्य से ` 33.60 लाख की धनराशि विलंब हेतु क्षतिपूर्ति के रूप में न तो रोके जाने एवं न ही जब्त किए जाने संबंधी प्रकरण को संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
80/2006-2007	शून्य	1,
11/2010-2011	शून्य	1,2
18/2014-2015	01,	1,2,3,4
80/2016-17	01,	1,2,3
योग	**02**	**10**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
			अनुपालन आख्या बाद मे प्रेसित की जाएगी ।	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

"शून्य"

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु ... अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखंड, प्रखण्ड – गोपेश्वर, चमोली, तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**
   (i) -
   (ii) शून्य
   (iii) -
2. **सतत् अनियमितताएः**
   (i) -
   (ii) शून्य
3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

	क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	इ. विनोद कुमार	अधिशासी अभियंता	
(ii)	इ. प्रमोद गगाड़ी	अधिशासी अभियंता	

   लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति ..... अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखंड, प्रखण्ड – गोपेश्वर, चमोली, को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार सामाजिक क्षेत्र ,को प्रेषित की जाए । सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जांय।
4. विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

   1. श्री रघुवीर सिंह राणा
   2. श्री अरविंद कुमार
   3. श्री रामपुकार चौरसिया
   4. श्री बलदेव सिंह डुंगरियाल

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र